भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1587
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूरत में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की स्थिति

†1587. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत सूरत जिले हेतु कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ख) उक्त जिले में पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी चल रही हैं;

(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कुल कितने लाभार्थियों ने लाभ उठाया है;

(घ) वर्तमान कार्यान्वयन प्रवृत्तियों और अनुमोदित लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण पीएमएवाई-यू के लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ङ) क्या पीएमएवाई-यू के अंतर्गत विशेषकर सूरत में वित्तीय आवंटन, परियोजना में विलंब अथवा लाभार्थियों की पहचान से संबंधित कोई अतिरिक्त चुनौतियां हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (च) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस),

निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू को सहकारी संघवाद की भावना से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं तथा स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं।

गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, सूरत जिले में 4,398.25 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से कुल 2.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 1.98 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों में सौंपे जा चुके हैं और अभी तक 4,100.65 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। गुजरात राज्य के सूरत जिले और सूरत संसदीय क्षेत्र के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू को कार्यान्वित करने के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराये पर लिया जा सके। आज तक, गुजरात सहित 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को शुरू किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल तथा संचालनात्मक दिशा-निर्देश http://pmay-urban.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

*****

दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1587 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत गुजरात राज्य, सूरत जिला और सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	विवरण	गुजरात	सूरत जिला	सूरत संसदीय क्षेत्र
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	10,05,204	2,06,777	1,80,767
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	9,79,825	2,01,019	1,79,430
3	निर्मित आवास (संख्या)	9,37,830	1,98,323	1,76,807
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	21,064.34	4,398.25	3,897.15
5	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	19,805.76	4,100.65	3,660.40

******